## क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय Employees' Provident Fund Organisation

Sub-Regional Office, Nasik

भविष्य निधि भवन, प्लॉट नं. पी—॥, एम.आय.डी.सी., नासिक — 422 007. Bhavishya Nidhi Bhawan, Plot No. P-II, MIDC, Satpur, Nasik-422 007.

स. महा/ No. MH/	भ.नि./प्रयोज्यत PF/APP/5444(	SROINSK/3	OJA	दिनांक Date 8 5 2008
सेवा में To,			ar seeding	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	recision To	notrument so	arvices	
		Bhavan, F-9		
Shine	हारकारपाउ उप्पर्व, Na कर्मचारी भविष्य निर्	Takli Road ) Sik - 422 001. धे एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधि		के अधिन बनाई गई योजना – ईसकी
Sub- महोदय,	: Employees Provid	संख्या का आबटन। lent Funds and Miscell	aneous Provisions A	ct, 1952 and the scheme framed r MH/NSK/ <u>5444</u> .
Sir,		क्षार अवस्य सि	South All 2	
1. भविष्य निधि गई है। उप	रे एव प्रकिण उपलब्ध	ापना उसकी सभी शाखा	ए और विभागों के सा मके अधिन बनाई गई	थ दि. — से कर्मच योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट
1. of the En	Your factory/estanployees' Provident r with effect from	Dishment with all its b Funds and Miscellar	ranches and depart neous Provisions A The informs	ments is brought within the purvie ct, 1952 and the Scheme frame tion made available reveals that-
	1. आपकी फैक्ट्री	अनुसूचि 1 में उल्लिखित	उद्योग	का कार्य कर
ह ।जसपर ३	अधिनियम की धारा 1 (3	) (अ) के अधिन कर्मचारी	भावष्य निधि एव प्रक्रिण	उपलब्ध अधिनियम 1952 लाग होता है
the industri Act, 1952	is applicable under	section 1 (3) (a) of t	nployees Provident ne Act.	Funds and Miscellaneous Provison
धारा । (3) उपलब्ध अधि	(बी) के अधिन भारत विगम 1952 लगा वि	सरकार द्वारा जारी की	गई अधिसूचना के अन्	वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम व नुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिष
Employees	(ii) Yours is an Provident Funds a nt of India by a Not	establishment classi nd Miscellaneous Pro fication issued under	visons Act, 1952 section 1/(3) (b) of	to which the has been made applicable by the the Act of the school of the persons on 6174 1 20 8
	3. आपकी फैक्ट्री/	'स्थापना जो कार्य करती	है वह अनुसूचि 1 में	कर्मचारियों की नियुक्ति की है उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की
धारा 1 (3) । अ–सूचिबध्द	वी) के अनुसार भारतः माना गया है।	सरकार द्वारा अनुसूचित र	थापनाओं के वर्ग में अ	तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना क
रूप जनाम प				की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके
1-A	The coverage is pro	visional on the basis	é an audulan manda l'a	The state of the s
1.ख. स्वैच्छिक रूप	आधिनियम की धारा से विस्तार के सम्बन्ध में	1) (4) के अनुसार कर्म प्राप्त आपके आवेदन सं	वारी भविष्य निधि एवं	प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 के
ACCUPATION OF THE PARTY OF THE		A MAN DAVING OHOLIVE	(7) 471 411 1 471 474	it is sit sem sient of unit
करत इय भा	त सरकार द्वारा अधिर	चिना जारी होने तक आए	की स्थापना की तात्क	लिक रूप से दि. संकेत संख्या नियत की गई है।
received for 1 (4) of the MH/EK/	extension of Employ Act, on a voluntar	your application No. yees' Provident Funds y basis, a code numl	and Miscellaneous per is hereby allotte nally covering you notification by the ection 1 of the E	Dated Provisions Act, 1952 uner section and to your establishment namely testablishment with effect from Govt, of India in exercise of the molovees' Provident Funds and
	The second second	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON OF THE PERS		MATERIAL STREET

्राप्तर का अपने विश्वम् । का आविश्वास्त्रिका स्वतीय अवस्था आधारिक कर्ताः कुर्वत्यस्य अस्ता के तो वा सम्बद्धाः का विश्वस्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः ।

- 13. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशि निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अवायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 14-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।
- 13 It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred percent of the arrears as provided in Section 14B of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
- 14. इसके अतिरिक्त देयता फी अदेनगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा।
- 14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.
- 15: इस कार्यालय के निरिक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें आवश्यक सहयोग दें। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते है, तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरिक्षक को लिख सकते है।
- An Inspector of this Office, will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any diffculty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

0 . 0 . 0						
श्री/श्रीमती	191-03		1.5		1 / 11	
भविष्य निधि	निरीक्षक					
-	9 8 9 15	eld H	-11-2	ši -	100	
	edia it so			Ti.	ST of leta	

भवदीय

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र तथा गोवा

Provident Fund Inspector

STI A. L. Dhande, NasTr

Please acknowledge receipt of this communication.



Yours faithfully

Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra & Goa.